न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/449
दायरा तिथि : 05-07-2023
फैसला तिथि : 11-02-2023

प्रार्थीः–
घीसुलाल पुत्र मूलाराम जाति कुमावत
निवासी कागडी तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री घीसुलाल .... स्वयं प्रार्थी
2. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– **दिनांक** 11-02-2023

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम कागडी तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 172 रकबा 0.3544 हैक्टर व खसरा नंबर 160/3 रकबा 0.6000 व खसरा नंबर 57/3 रकबा 0.2525 में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम घीसाराम पुत्र मूलाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम घीसुलाल पुत्र मूलाराम शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **घीसाराम पुत्र मूलाराम** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी व विद्युत बिल अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **घीसुलाल पुत्र मूलाराम** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम घीसाराम पुत्र मूलाराम** के स्थान पर **घीसुलाल पुत्र मूलाराम** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **घीसुलाल पुत्र मूलाराम** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी व विद्युत बिल की नकल पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **घीसाराम पुत्र मूलाराम** दर्ज है, जिससे उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम कागडी तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 172 रकबा 0.3544 हैक्टर व खसरा नंबर 160/3 रकबा 0.6000 व खसरा नंबर 57/3 रकबा 0.2525 में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम घीसाराम पुत्र मूलाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम घीसुलाल पुत्र मूलाराम शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू. अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 11-02-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू. अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
बाली, जिला–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner